



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

स्थल निरीक्षण प्रमाण – पत्र

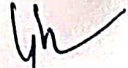
प्रमाणित किया जाता है कि, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्रा में स्थित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794,777,795 एवं आर.एफ. 793 में से रकबा 9.304 हे. में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिये प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 30/06/2022 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं हैं तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्रा में स्थित नहीं है।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोंडागांव संभाग, जिला कोंडागांव (छ.ग.) के द्वारा कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि 9.304 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794, 777,795 एवं आर.एफ. 793 में से रकबा 9.304 हे. के प्रस्तावित स्थल में कुल 321 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.2 से 0.6 तक तथा स्थल गुणी श्रेणी के हैं एवं प्रस्तावित स्थल की दशा प्राय रेतीली दूमट एवं कंकरीली है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

कोंडागांव जिले के तहसील कोंडागांव में स्थित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी. एफ. 794, 777,795 एवं आर.एफ. 793 में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण होने से जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग -30 के चौड़ीकरण पश्चात यातायात साधनों के वृद्धि होने से सड़क दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावना बनी रहती है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचने एवं आम जनताओं के आवागमन हेतु कोंडागांव बाईपास मार्ग का उपयोग किया जाना अतिसुविधा होगी।

अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण के लिए दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


उत्तम कुमार गुप्ता
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

